

## ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

सेवा में,

महोदय/ महोदया,

### एसी प्लांट क्षेत्र के पास सड़क मरम्मत कार्य , बैंक परिसर , आरबीआई कानपुर

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर 'एसी प्लांट क्षेत्र के पास सड़क मरम्मत कार्य , " हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। ई-निविदा की प्रक्रिया एमएसटीसी लि° के ई-निविदा पोर्टल (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/ एजेंसियों/ फर्मों को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऊपर उल्लिखित वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लि. में पंजीकरण करना होगा। ई-निविदा की समय-सारणी निम्नानुसार है:

ई-निविदा सं०	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/13/25-26/ET/726
क) अनुमानित लागत	<b>Rs. 9,86,700/-</b> (नौ लाख छियासी हजार सात सौ मात्र) <b>(18% की दर से जीएसटी सहित)</b>
ख) ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली ( <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> के माध्यम से ऑन-लाइन भाग I - टेक्नो-कमर्शियल बोली और भाग II - मूल्य बोली)
ग) ई-निविदा का प्रकार	<b>सीमित</b> (केवल उन्हीं फर्मों के लिए जो 5 लाख रुपये से ऊपर एवं 50 लाख रुपये तक की श्रेणी के सिविल कार्यों हेतु भा.रि.बैं., कानपुर में सूचीबद्ध हैं)
घ) डाउनलोड हेतु पक्षकारों के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	19 दिसम्बर 2025, अपराह्न 3:00 बजे से
ङ) बोली- पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	15 जनवरी 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से <b>स्थान:</b> संपदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
च) बयाना जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से प्रस्तुत करना और निर्धारित प्रारूप में एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें (अनुलग्नक V देखें)	<b>19,734/- रुपये</b> ( उन्नीस हजार सात सौ चौतीस मात्र) का <b>भुगतान एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 186003001, आईएफएससी RBIS0KNPA01 पर किया गया</b> (अनुलग्नक -V देखें)
छ) ई-निविदा शुल्क	शून्य
ज) वेबसाइट <a href="http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi">http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> पर ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	19 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
झ) ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक

ज) टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तिथि	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे
ट) भाग-I (अर्थात टेक्नो-कमर्शियल बोली) के खुलने की तिथि और समय भाग-II अर्थात मूल्य बोली के खुलने की तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी।	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:30 बजे से
ठ) ई-निविदा की वैधता	टेक्नो-कमर्शियल बोली के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक
ड) लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से प्रस्तुत किया जाना है)	<b>As per MSTC</b>

इच्छुक निविदाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को **रु 19,734/- रुपये ( उन्नीस हज़ार सात सौ चौतीस मात्र)** की बयाना राशि **एनईएफटी** के माध्यम से भुगतान करेंगे।

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपेक्षित पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और उनके ऐसा करने में विफल रहने की दशा में बैंक के पास उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बयाना जमा राशि के बिना ई-निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक सबसे कम बोली की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। बैंक के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह बगैर कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार कर सकता है।

यदि निविदा के संबंध में भविष्य में कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे उपरोक्तानुसार केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और उसे समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
कानपुर

## **Notice Inviting E-Tender**

To,

Dear Sir / Madam,

[Abstract]

Reserve Bank of India, Kanpur invites e-tender for '[Abstract]'

The e-tendering shall be done through the e-tendering portal of MSTC Ltd (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>). All eligible and interested companies / agencies / firms must register themselves with MSTC Ltd through the above-mentioned website to participate in the e-tendering process. The Schedule of e-tender is as follows:

<b>E-Tender No.</b>	<b>RBI/Kanpur Regional Office/Estate/13/25 26/ET/726</b>
a) Estimated cost	<b>₹9,86,700/- (Rupees Nine Lakhs Eighty-Six Thousand Seven Hundred only)</b>
b) Mode of e-tender	<u>e-Procurement System (Online Part I - Techno- Commercial Bid and Part II - Price Bid through <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a></u>
c) Type of e-tender	<b>Limited</b> (Only for firms empaneled with RBI, Kanpur under 5 Lakh to 50 Lakh category of Civil Works)
d) Date of NIT available to parties to download	December 19, 2025, 3:00 P.M. Onwards
e) Pre-bid meeting (Offline)	January 15, 2026, 11:00 A.M. Onwards  <b>Venue:</b> Estate Department, 2nd Floor, Reserve Bank of India, Mall Road, Kanpur, Uttar Pradesh- 208001
f) EMD through <b>NEFT and upload the details on the MSTC portal in prescribed format (see Annexure V)</b>	<b>Rs.19,734/- (Rs. Nineteen Thousand Seven Hundred Thirty-Four Only)</b> paid through <b>NEFT /</b> Net banking to <b>A/c No. 186003001, IFSC RBIS0KNPA01 (See Annexure- V)</b>
g) E-Tender Fees	NIL
h) Date of Starting of e-tender for submission of on-line Techno-Commercial Bid and price Bid at <a href="http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi">http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a>	January 19, 2026, 3:00 P.M. Onwards

i) Last date of submission of EMD	January 27, 2026, till 3:00 P.M.
j) Date of closing of online e-tender for submission of Techno-Commercial Bid & Price Bid.	January 27, 2026, till 3:00 P.M.
k) Date & time of opening of Part-I (i.e. Techno-Commercial Bid) Date of opening of Part II i.e. price bid shall be informed separately	January 27, 2026, till 3:30 P.M. Onwards
l) Validity of the e-tender	90 days from the date of opening of Techno-Commercial bid
m) Transaction Fee (Non-refundable) (To be paid separately by the tenderers to MSTC vide MSTC E-Payment Gateway for participating in the e-tender)	<b>As per MSTC</b>

2. Intending tenderers shall pay a sum of **Rs.19,734/- (Rs. Nineteen Thousand Seven Hundred Thirty-Four Only) as** earnest money through **NEFT** to Reserve Bank of India, Kanpur.

3. Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their bids. E-tenders without EMD will not be accepted under any circumstances.

4. The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

5. Any amendments / corrigendum to the tender, if any, issued in future will only be notified on the RBI Website and MSTC Website as given above and will not be published in the newspaper.

Regional Director  
Reserve Bank of India  
Kanpur

कवर पृष्ठ

**भाग I**

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

**संपदा विभाग**

**कानपुर**

(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

[Abstract]

**के लिए**

**ई-निविदा**

**RBI/Kanpur Regional Office/Estate/13/25-26/ET/726**

जमा करने की अंतिम तिथि: 27 जनवरी 2026, दोपहर 3:00 बजे तक

खुलने की तिथि: 27 जनवरी 2026, दोपहर 3:30 बजे से

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित करते हैं इसके सहयोग से।

यह जानकारी पूरी तरह से विस्तृत होने का इरादा नहीं रखती है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अपनी खुद की पूछताछ करें। इस ई-निविदा के जवाब देने वालों से अनुरोध है कि वे अपनी खुद की पूछताछ करें और उन्हें सिर्फ खाली ई-निविदा दस्तावेज/फॉर्म में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर जवाब देने वाले ठीक से जांच-पड़ताल नहीं करते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना को आगे न बढ़ाने या परियोजना की संरचना बदलने, इस दस्तावेज में दी गई समय सारिणी को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया या पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। उसे किसी भी इच्छुक पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से मना करने का अधिकार भी सुरक्षित है। रुचि दिखाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार के खर्च की कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग  
कानपुर

विषय-सूची

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना		1
कवर पेज 5		5
अस्वीकरण		6
विषय-सूची		7
ई-निविदा का फॉर्म		8
करारनामा / Articles of Agreement		11
खंड ए: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें	20	
खंड बी: सुरक्षा कोड		27
खंड सी: अग्नि सुरक्षा कोड	28	
खंड डी: इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें		27
खंड ई: विशेष शर्तें	45	
अनुलग्नक- I: पूर्वमें उल्लिखित परिशिष्ट	47	
अनुलग्नक- II: ई-निविदा 44 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश		49
परिशिष्ट- III निष्पादन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा		48
अनुलग्नक- IV निविदाकर्ता के बैंकों का विवरण <b>defined.</b>		<b>Error! Bookmark not</b>
अनुलग्नक - V ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण <b>not defined.</b>		<b>Error! Bookmark</b>
अनुलग्नक- VI		58
विनिर्देशों और माप का तरीका	59	
भाग II		60

## ई-निविदा का फॉर्म

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक,  
संपदा विभाग,  
कानपुर

प्रिय महोदय,

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद, तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद, निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, समझौते के अनुच्छेदों, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के साथ और ऐसी सामग्रियों के साथ, जैसा कि इसके लिए प्रदान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, आपूर्ति और निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

### ज्ञापन

ई-निविदा सं.	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/13/25-26/ET/726
क) अनुमानित लागत	Rs. 9,86,700/- (नौ लाख छियासी हजार सात सौ मात्र) (18% की दर से जीएसटी सहित)
ख) ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली ( <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi">www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> ) के माध्यम से ऑन-लाइन भाग I - टेक्नो-कमर्शियल बोली और भाग II - मूल्य बोली)
ग) ई-निविदा का प्रकार	सीमित (केवल उन्हीं फर्मों के लिए जो 5 लाख रुपये से ऊपर एवं 50 लाख रुपये तक की श्रेणी के सिविल कार्यों हेतु भा.रि.बैं., कानपुर में सूचीबद्ध हैं)
घ) डाउनलोड हेतु पक्षकारों के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	19 दिसम्बर 2025, अपराह्न 3:00 बजे से
ङ) बोली- पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	15 जनवरी 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से स्थान: संपदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
च) बयाना जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से प्रस्तुत करना और निर्धारित प्रारूप में एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें (अनुलग्नक V देखें)	19,734/- रुपये ( उन्नीस हजार सात सौ चौतीस मात्र) का भुगतान एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 186003001, आईएफएससी RBISOKNPA01 पर किया गया (अनुलग्नक -V देखें)
छ) ई-निविदा शुल्क	शून्य

ज) वेबसाइट <a href="http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi">http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi</a> पर ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	19 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
झ) ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक
ञ) टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तिथि	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:00 बजे
ट) भाग-I (अर्थात टेक्नो-कमर्शियल बोली) के खुलने की तिथि और समय भाग-II अर्थात मूल्य बोली के खुलने की तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी।	27 जनवरी 2026, अपराह्न 3:30 बजे से
ठ) ई-निविदा की वैधता	टेक्नो-कमर्शियल बोली के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक
ड) लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से प्रस्तुत किया जाना है)	<b>As per MSTC</b>

2. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या इसके चूक जाने पर उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि के जब्त हो जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

3. मैंने/हमने भारतीय रिज़र्व बैंक में रु. 19,734/- (रुपए उन्नीस हजार सात सौ चौतीस रुपए) की बयाना राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देय है। यदि मैं/हम अनुबंध निष्पादित करने के लिए कहे जाने पर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि यह राशि मेरे/हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।

4. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता)

(i)	
(ii)	

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम	
या	

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति होनी चाहिए) संलग्न)	
---	--

भवदीय,

### ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

**करारनामा / Articles of Agreement**  
**(₹100/- स्टाम्प पेपर पर) / (On ₹100/- stamp paper)**  
**(केवल सफल बोलीकर्ता हेतु) / (Only for successful bidder)**

यह करार वर्ष.....के..... वें दिन एक पक्ष के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) और दूसरे पक्ष \_\_\_\_\_ (जिन्हें इसके बाद "संविदाकर्ता" कहा गया है) के बीच निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between the Reserve Bank of India, KANPUR (hereafter called "The Bank") of the one part and \_\_\_\_\_ (thereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि बैंक **एसी प्लांट क्षेत्र के पास सड़क मरम्मत कार्य, बैंक परिसर, आरबीआई कानपुर** " कार्य कराने का इच्छुक है और विनिर्देश तैयार किए हैं जिसमें किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है।

और जबकि उक्त विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची पर उनके द्वारा अथवा पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS The Bank is desirous of getting the work "[Abstract]" and has caused specifications describing the works to be done.

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

**और जबकि** बोलीकर्ता इसमें निर्धारित की गई शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों और मात्रा अनुसूची में उल्लिखित की गई शर्तों तथा यथा संशोधित एवं अंतिम रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत संविदा की शर्तों (जिन्हें समग्रतः इसके बाद "कथित शर्तें" कहा गया है) में निहित शर्तों के अधीन बैंक की उक्त अपेक्षा और /अथवा कथित विनिर्देश में उल्लिखित कार्य और मात्रा-अनुसूची में शामिल कार्य को निष्पादित करने हेतु सहमत है जिसे वह उक्त में तय की गई राशि के अनुसार अथवा उसके अधीन देय होने वाली राशि के अनुसार निर्धारित दर (जिसे इसके बाद 'कथित संविदा राशि' कहा गया है) पर करेगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there-under (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

**अतः अब उनके बीच निम्नलिखित रूप से करार किया जाता है :-**

**NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:**

निर्धारित शर्तों में उल्लिखित समय और तरीके से संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, बोलीकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार और उनके अधीन निविदा विनिर्देशों में और मात्रा अनुसूची में यथा उल्लिखित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

In considerations of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said Conditions, the Contractors shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work as described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

नियोक्ता बोलीकर्ता को निर्धारित शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा।

The Employer shall pay the Contractor, the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

उक्त शर्तों में 'आर्किटेक्ट' शब्द का आशय इस संविदा के तहत निर्मित किए जाने वाले भवन/संरचनाओं की वास्तुशिल्पीय योजना और डिजाइनिंग आदि के उद्देश्य हेतु महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर से है। संविदा में उल्लिखित कार्य हेतु जिस भी कारण से आर्किटेक्ट की हैसियत समाप्त होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों उस प्रयोजन के लिए आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने और विभिन्न नियमों, शर्तों और संविदा की शर्तों को लागू करने के लिए सीधे व्यवस्था करेगा (संविदा के उपर्युक्त खंड के तहत परिभाषित कार्य को छोड़कर)। इस प्रयोजन के लिए कार्य में तेजी लाने, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और उसे पूरा करने आदि के बारे में उक्त शर्त में उल्लिखित आर्किटेक्ट से आशय सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) अथवा इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति से होगा। संविदा के प्रावधानों को लागू करने अर्थात् मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटाने से संबंधित खंड के मामले में आर्किटेक्ट शब्द का आशय ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा या व्यक्तियों से होगा जिन्हें इस कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा।

The term 'Architect' in the said conditions shall mean General Manager/DGM, Estate Department, Reserve Bank of India Kanpur for the purpose of architectural planning & designing etc. of the buildings / structures to be constructed under this contract. In the event of their ceasing to be Architects for the work mentioned in the contract for whatever reason such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

The Reserve Bank of India will administer and directly arrange for supervision of works, certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract (except for the scope of work as defined under clause 3 above). For this purpose, the term Architect in the said condition regarding escalation of work, quality of construction, quality of materials, progress & completion of the project etc. shall mean the Assistant General Manager (Tech) / Manager (Tech) / Assistant Manager (Tech) or any other person designated for the purpose by the Competent Authority, Reserve Bank of India. As far as the operation of the provision of the Contract viz. Clause relating to settlement of disputes through arbitration, the term 'Architect' shall be read as such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

सक्षम प्राधिकारी को इस कार्य हेतु प्रभारी अभियंता नियुक्त करने का अधिकार है। यदि विभाग में सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) नहीं है, तो प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्रबंधक (तकनीकी) भी नहीं है, तो समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से सहायक प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य करेगा।

The Competent Authority has the power to designate Engineer-in-Charge for this work. In case the department does not have AGM with technical background in that case Engineer-in-Charge for this work can be a Manager (Tech). Further, in case of non-availability of Manager (Tech), Assistant Manager (Tech) will act as Engineer-in-Charge with due approval of Competent Authority.

उक्त शर्तों और इसके साथ संलग्न परिशिष्ट को इसके साथ पढ़ा जाए और उन्हें इस करार का एक हिस्सा माना जाएगा तथा पक्षकारों को उक्त शर्तों का पालन करना होगा और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपने-अपने हिस्से का करार निष्पादित करना होगा।

यहां योजनाएं, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस करार के आधार होंगे।

The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract

यह संविदा न तो कोई नियत एकमुस्त संविदा है, न ही खंडित कार्य संविदा है, बल्कि " नियोक्ता 'एसी प्लांट क्षेत्र के पास सड़क मरम्मत कार्य , बैंक परिसर , आरबीआई कानपुर " के संबंध में संपूर्ण कार्य करने हेतु संविदा है, जिसके लिए भुगतान दर अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक तयशुदा मात्रा और संभावित मात्रा के अनुसार अथवा निर्धारित शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार किया जाना है।

This Contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a Piece Work Contract but a Contract to carry out the work in respect of the entire of the "[Abstract]" to be paid for according to the actual measured quantities at the rate contained in the schedule of rates and probable quantities or as provided in the said Conditions.

संविदाकर्ता सिविल कार्यों, सेनेटरी कार्य और फिटिंग्स का संस्थापन, स्थायी जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल संस्थापन, फिटिंग्स, लिफ्ट, टेलीफोन, एयर कंडीशनिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने हेतु हर यथोचित सुविधा उपलब्ध कराएगा और कार्य पूरा होने के पश्चात दीवारों, फर्शों इत्यादि को हुई किसी भी क्षति की भरपाई करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works, installation of sanitary work and fittings, permanent water supply, electrical installations, fittings, lifts, telephone, air conditioning and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.

नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य को जोड़कर अथवा हटाकर अथवा उक्त कार्य के किसी भाग को किसी और से कराकर कार्य के स्वरूप में बदलाव कर सकता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings & nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

समय को इस संविदा का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और संविदाकर्ता इसके द्वारा औपचारिक कार्यदिश जारी होने के 10वें दिन से जैसा कि उक्त शर्तों में प्रावधान है, कार्य प्रारंभ कर देने और पूरा विनिर्दिष्ट कार्य **45 दिन** के भीतर पूर्ण कर देने पर सहमत है, तथापि यह समय विस्तार के प्रावधान के अधीन होगा।

Time shall be the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from tenth day after the date of issue of formal work order as provided for in the said conditions whichever is later and to complete the entire work within **45 days** subject nevertheless to the provisions for extension of time.

इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract shall be made only at Kanpur.

इस करार से उत्पन्न अथवा इससे किसी भी रूप में जुड़े सभी विवादों के बारे में यह माना जाएगा कि वे कानपुर में उत्पन्न हुए हैं और उन पर केवल कानपुर स्थित न्यायालयों को उन पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.

इस संविदा के अनेक हिस्से संविदाकर्ता द्वारा पढ़ लिए गए हैं और संविदाकर्ता द्वारा पूरी तरह से समझ लिए गए हैं। जब तक बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने लिखित रूप में विशेष निर्देश न दिए हों तब तक संविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित मात्राओं के परे भुगतान नहीं किया जाएगा।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood. The Contractor shall not be entitled for the payment for the quantities beyond the tendered quantities unless ordered for by specific written instructions from the Bank's competent authority.

संविदाकर्ता और उसका कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ सिस्टम / उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसका खुलासा ही करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को क्षतिपूरित किया जाएगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकर्ता के स्तर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को हक होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

## **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:**

### **SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORK PLACE**

क) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में संविदाकर्ता/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

The Contractor /Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of the " Sexual Harassment of the women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before

the internal complaints committee constituted by the contractor / Agency and the Contractor / Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

ख) संविदाकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

ग) संविदाकर्ता के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकर्ता उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी।

The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at work place and related issues.

ङ.) संविदाकर्ता अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

The contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के मामले में वे सभी उचित कदम उठाएगा जिससे कि इस करार के अधीन सभी गोपनीय सूचनाओं के गैर-प्रकटीकरण की शर्त का पूर्ण अनुपालन हो। अप्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी संविदाकर्ता की बाध्यता इस करार की समाप्ति/निरस्तीकरण, चाहे जिस वजह से हो, के उपरांत भी रहेगी।

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason."

<p>यदि संविदाकर्ता कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो</p> <p>If the contractor is a Partnership or Individual</p>	<p><b>गवाहों की उपस्थिति में</b> बैंक और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इन कागजात पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.</p>
--	---

<p>यदि संविदाकर्ता कोई कंपनी हो</p> <p>If the contractor is a Company</p>	<p><b>गवाहों की उपस्थिति में</b> बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन कागजात पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को अपनी ओर से इस पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपनी मुहर लगवा दी है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.</p>
---	--

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

श्री ..... (नाम और पदनाम) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया, निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में

(1) पता

(2) पता .....

.....

.....

गवाह

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

Shri .....

(Name and designation)

.....

in the presence of

(1)

Address

(2)

Address

### गवाह

..... द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया 1)..... पता ..... .....	यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो, तो सभी साझेदारों अथवा सभी साझेदारों की ओर हस्ताक्षर करने चाहिए।  If the part is a partnership firm or any individual should be signed by all or on behalf of all the partners.
2) ..... पता ..... .....	
गवाहों की सामान्य मुहर यहां इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार लगा दी गई थी ..... ..... यह बैठक निम्नलिखित की उपस्थिति में की गई ( 1 ) ..... ( 2 )	यदि बोलीकर्ता मुहर लगाकर हस्ताक्षर करता है तो उपस्थितों का हस्ताक्षर खंड संस्था के अंतर्नियम में दिए मुहर लगाने के खंड से मेल खाना चाहिए।  If the Contractor signs under its Common Seal the signature clause should tally with their sealing clause in the Articles of Associations.

<p>..... निम्नलिखित निदेशकों ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं, उक्त की उपस्थिति में ले लिए गए (1) ..... (2) ..... श्री ..... ठेकेदार द्वारा श्री ..... और विधिवत् गठित अटॉर्नी के हस्ताक्षर से वितरित।</p> <p>SIGNED AND DELIVERED BY</p> <p>1).....</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2) .....</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Witnesses</p> <p>THE COMMON SEAL OF</p> <p>Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed By its Board of Directors at the meeting held on.....</p> <p>In the presence of</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Directors who have signed these presents in taken thereof in the presence of</p> <p>1).....</p> <p>2).....</p>	<p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p> <p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p> <p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p> <p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p>
--	---

SIGNED AND DELIVERED BY the  
Contractor by the hand of

Shri .....

and duly constituted  
attorney.....

.....

खंड ए: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर अपने पैनल में शामिल ठेकेदारों से दो भागों में [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल में शामिल ठेकेदारों को उल्लिखित पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

### ई-निविदा दस्तावेज़:

निविदा में दस्तावेज (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) शामिल हैं, साथ ही इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई कोई अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि शामिल है। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रित करने की सूचना [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।

ई-निविदा जमा करने को सावधानीपूर्वक अध्ययन और ई-निविदा दस्तावेजों की जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

### निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति:

ई-निविदा दस्तावेज/निविदा आमंत्रित करने की सूचना [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) से डाउनलोड की जा सकती है।

इच्छुक पार्टियां यदि चाहें तो किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपदा विभाग के अधिकारियों से फोन/ई-मेल पर संपर्क कर सकती हैं।

### बोली-पूर्व बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक बोली आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके/परियोजना के संबंध में निविदाकर्ताओं के पास स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें इसके बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

### ई-निविदा दस्तावेज में संशोधन

बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा।

ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकारों को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

### निविदा तैयार करना

भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली:

सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में निर्दिष्ट सभी विवरणों को भरना होगा और उत्पाद के पत्रक/आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर आदि को संलग्न करना होगा।

ईएमडी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा होगा। ईएमडी की राशि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दर्शाई गई है।

निविदाकर्ताओं को [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके निविदा में बताए गए पूर्व-योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

## भाग II/वित्तीय बोली:

**बोली की मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी जेब / जुटाने का खर्च, उपकरण, कार्यकर्ता की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर,) **श्रम**, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं। जैसा कि नियमों के अनुसार लागू होता है।

कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। तथापि, बैंक निविदा खंड के अनुसार इस मामले में समीक्षा भी कर सकता है। यदि आवश्यक हो।

दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। ई-निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को ई-निविदा के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है; इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी। ई-निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, ई-निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

## बोलियों की वैधता की अवधि

निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दर्शाई गई अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बोलियां वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने का कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने पास आरक्षित रखता है।

**प्रत्येक निविदाकार 19,734 रुपये (उन्नीस हजार सात सौ चौतीस रु. केवल) की राशि का भुगतान एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से (भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर के खाताकार संख्या 186003001, आईएफएससी RBIS0KNPA01 को करेगा।** यदि जमा करने की अंतिम तिथि तक ईएमडी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निविदा को गैर-वास्तविक माना जाएगा और निविदाकर्ता को आगे की सलाह के बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में बयाना धन जमा नकद या सावधि जमा रसीद या बैंक की बीमा गारंटी या चेक आदि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**बयाना राशि जमा का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को किया जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहता है तो बैंक ईएमडी को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईएमडी को निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त कर लिया जाएगा:**

प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करना, किसी भी भौतिक जानकारी, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था; या

निविदाकर्ता ने भाग II/वित्तीय बोली के कॉलम को खाली छोड़ दिया या कई वित्तीय बोलियां जमा कीं।

यदि कोई निविदाकर्ता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या

निविदाकर्ता को किसी भी सरकारी एजेंसी, पीएसयू द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और काली सूची अभी भी लागू है।

सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

नियोक्ता से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने और **प्रदर्शन बैंक गारंटी (अनुबंध मूल्य का @ 5%) जमा करने के लिए बाध्य होगा (अनुलग्नक- III देखें) और** उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति का गठन किया जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच बाध्यकारी संविदा, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

(a) खंड 8 के तहत निष्पादन बैंक गारंटी के अलावा और ठेकेदार द्वारा अनुबंध की देय पूर्ति के लिए आगे की सुरक्षा के रूप में, अंतरिम / अंतिम भुगतान (भुगतानों) के मूल्य का 5% बैंक द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से प्रतिधारण धन के रूप में काट लिया जाएगा। पीबीजी को वर्चुअल रूप से पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा और 12 महीने की दोष देयता अवधि के दौरान बताए गए दोषों को दूर करने के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। **बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।**

(b) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर नकद में कटौती की गई राशि को नकद में बदल दिया जाएगा।

**बोलियां जमा करने की प्रक्रिया**

इस निविदा के लिए **टू-कवर/पार्ट सिस्टम** रखने का प्रस्ताव है

## **तकनीकी - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मदें शामिल हैं**

भाग- I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक)। कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग-I/तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर प्रस्तुत की जा सकती है।

पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए, यदि कोई हो।

ईएमडी का भुगतान विवरण संलग्न किया जाएगा।

## **भाग II/वित्तीय बोली**

भाग II/वित्तीय बोली [www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi](http://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) पर प्रस्तुत की जा सकती है

कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

## **ई-निविदाओं की प्राप्ति**

ई-निविदा बोलियां निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी जैसा कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। **इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**

## **भाग I का उद्घाटन**

तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियां निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी जैसा कि संपदा विभाग, आरबीआई कानपुर में निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं, यदि वे चाहें तो।

## **भाग I की जांच**

भाग I का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

भाग I के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकर्ताओं को सभी ई-निविदाकर्ताओं को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग-I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

## **भाग II /वित्तीय बोली का उद्घाटन**

शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों के भाग- II को बाद में खोला जाएगा और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं, यदि वे चाहें तो।

## **भाग II की जांच**

भाग II का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, सबसे कम निविदाकर्ता (एल 1) घोषित किया जाएगा।

आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय, बैंक को मात्रा में बदलाव करने का अधिकार है।

### **किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार**

ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, आरबीआई करार देने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है, और ऐसा करने पर प्रभावित निविदाकर्ता(ओं) के प्रति उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

किसी भी ऐसी घटना घटने के कारण जिससे चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।

निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत का साक्ष्य, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर, कोई अन्य कारण, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता होती है।

ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

बैंक आगे प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (क) से (घ) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।

बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की पूर्वापेक्षा को हतोत्साहित करता है।

**ठेकेदार अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को असाइन नहीं करेगा।** वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करने वाले ठेकेदार पर लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक के हित में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

ठेकेदार बैंक के इंजीनियर द्वारा दी गई मात्रा, विवरण और निर्देशों की अनुसूची के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे। ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

इन विशेष शर्तों के साथ प्रत्येक कार्य और विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची होनी चाहिए। संभावित मात्रा की अनुसूची बैंक के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि एक अलग कॉलम में दर्ज किए गए कार्य की प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए और संपूर्ण निविदा के कुल मूल्य को दिखाने के लिए सभी वस्तुओं को कुल किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता को अपनी ज़िम्मेदारी पर और अपने खर्च पर, निविदा बनाने और अनुबंध करने के लिए ज़रूरी सभी जानकारी खुद हासिल करनी होगी, और उसे विनिर्देशों की जांच करनी होगी, काम की जगह का मुआयना करना होगा और सभी स्थानीय स्थितियों, काम तक पहुंचने के साधनों, काम की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कराना होगा।

(a) निविदा में उद्धृत दरों में डबल मचान (यदि आवश्यक हो), किसी भी उपकरण और पौधों के लिए किराए पर केंद्रित, सामग्री के लिए छाया, साइट को चिह्नित करना और साफ करना, पानी देना, जैसा कि विनिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे। उद्धृत दरों को साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए माना जाएगा। दरें भी निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। निविदाकारों को अपनी दरों में जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, चुंगी, कार्य अनुबंध पर बिक्री कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी, यदि लागू हो, को शामिल करना होगा। जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई भी दावा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य, नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

कार्य इस तरह से किया जाएगा कि बैंक परिसर और उसके कामकाज में कम से कम व्यवधान हो। इस उद्देश्य के लिए बैंक इंजीनियर के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ई-निविदा पूरी तरह से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त मदों के मामले में नियोक्ता के ध्यान में लाएगा जो काम के दौरान मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित नहीं है और केवल बैंक के इंजीनियर से लिखित अनुमोदन पर ही इसे पूरा करेगा।

ई-निविदा के मूल्यांकन के दौरान, बैंक सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाल सकता है, जो बैंक के अनुमान और उनके द्वारा उद्धृत राशि के बीच की राशि में अंतर के लिए है। बैंक गारंटी जमा करना कार्य प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त बन जाती है। बैंक गारंटी जमा न करने की स्थिति में, बैंक ई-निविदा को स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान, सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के खंड 27 (धारा डी) में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी वस्तुओं को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ये मदें मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची लिखित रूप में जारी करेगा।

सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।

ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और कानूनी सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सफल निविदाकर्ता को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था के साथ करना चाहिए।

ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।

आयकर, सेवा कर, व्यापार कर, जीएसटी या अन्य कर लागू होने पर कटौती की जाएगी।

ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि नौकरी के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।

**उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि के लिए देय राशि शामिल होगी।** एजेंसी या ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पंजीकरण/कोड नंबर प्राप्त करे और समझौतों के निष्पादन से पहले बैंक को प्रस्तुत करे। यह एजेंसी या ठेकेदार द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए। एजेंसी या ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों/ठेका श्रमिकों के संबंध में लागू होता है और बैंक को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (यानी भुगतान करते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पोर्टल से प्राप्त भुगतान रसीद) प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर बैंक इसे सीधे जमा करेगा और एजेंसी या ठेकेदार को देय भुगतान राशि से संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ-साथ समायोजित/कटौती करेगा। इस खाते पर एजेंसी या ठेकेदार को उद्धृत दरों से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी या ठेकेदार ईएसआई और ईपीएफ के उद्देश्य सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ईपीएफ और ईएसआई सहित श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।"

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

गवाह: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

स्थान:

तारीख:

## खंड बी: सुरक्षा कोड

प्राथमिक उपचार उपकरण, जिसमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखे जाएँगे। यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।

ऐसे सभी कार्यों के लिए, जिन्हें ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मज़बूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कोई भी पोर्टेबल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया जाएगा।

किसी भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक छिद्र में उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएँगे; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।

किसी भी फर्श, छत या संरचना के किसी अन्य भाग पर सामग्री या मलबे का इतना अधिक भार नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएँगे।

वेल्डिंग कार्यों में लगे श्रमिकों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच और दस्ताने प्रदान किए जाएँगे।

पेस्ट या रेडीमेड पेंट के अलावा, सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

स्प्रे के रूप में पेंट लगाते समय या सीसा पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर खुरचते समय श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएँगे। ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएँगे और काम बंद होने की अवधि के दौरान काम करने वाले चित्रकारों को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

कार्यों में प्रयुक्त उत्पादक(होस्टिंग) मशीनें और उपकरण, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, पूरी तरह से सही स्थिति में होने चाहिए।

सामग्री को उठाने या नीचे उतारने में प्रयुक्त रस्सियाँ, या निलंबन के साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाले होने चाहिए और दोषों से मुक्त होने चाहिए।

यह एक व्यस्त परिसर है और बैंक की सुविधा के आधार पर साइट तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

स्थान:

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम और पता

दिनांक:

टेलीफोन/मोबाइल नंबर.

## खंड सी: अग्नि सुरक्षा कोड

कार्यस्थल पर प्रयुक्त कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।

केवल ISI चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रयुक्त विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग उचित होनी चाहिए।

सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।

कार्यस्थल पर आसानी से पहुँचने योग्य क्षेत्र में पानी और रेत से भरी दो बाल्टियाँ रखी जानी चाहिए।

अनुशंसित अग्निशामक यंत्र कार्यस्थल पर रखे जाने चाहिए। प्रयुक्त पेंट ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहित किया जाना चाहिए।

कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर मास्क, ईयर प्लग आदि प्रदान किए जाने चाहिए।

सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कामगारों द्वारा भूतल से 10 फीट से अधिक ऊँचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।

लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के लॉबी के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर

पता

दिनांक:

## खंड डी: इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें

इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

ए) "नियोक्ता"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेषण और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
बी) कंपनी के मामले में	"ठेकेदार का मतलब _____ 19__ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।
सी) "साइट"	इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
डी) "यह अनुबंध"	इसका अर्थ होगा समझौते का लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित।
ई) "लिखित रूप में सूचना"	इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।
एफ) "दिवालिया अधिनियम"	इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।
जी) "शुद्ध मूल्य"	यदि अनुबंध राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो

	उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। अनुबंध या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।
एच) "कार्य"	इसका अर्थ होगा [Abstract]

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।

आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।

किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।

इसके खंड 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर, ठेकेदार को उक्त प्रत्येक आरेखण और विनिर्देशों की एक प्रति और कार्य के दौरान जारी किए गए सभी आगे के आरेखणों की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठेकेदार द्वारा अपेक्षित ऐसे आरेखणों की किसी भी अतिरिक्त प्रति के लिए उसे भुगतान करना होगा। ठेकेदार कार्य से संबंधित सभी आरेखणों की एक प्रति अपने पास रखेगा और बैंक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उस तक पहुँच प्राप्त होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए।

**प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट:** ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखणों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

**कार्य की रूपरेखा:** ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

**सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए:** सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

**ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि:** ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएँगे।

**कामगारों की बर्खास्तगी:** ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

**कार्यों तक पहुँच:** नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी):** "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा। ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्रियों के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। कार्य की समय-समय पर सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को उन दोषों को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं।

**समनुदेशन और उप-पट्टा:** अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

**मात्राओं की अनुसूची:** मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मद्दों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता:** यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

**कार्यों का मापन :-** बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएंगे।

**अतिरिक्त मूल्य:** ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखणों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएंगे।

जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्गसंगत और उचित समझे।

जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

### **सामग्री की मूल दर के लिए मूल्य समायोजन:**

मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा पर ही किया जाएगा। मूल्य समायोजन मूल दर और वास्तविक बाजार/सामग्री खरीद दर के बीच के अंतर के लिए किया जाएगा और ई-निविदा में संबंधित मद के लिए उद्धृत दर में 15% लाभ होगा। मूल दर जो है जीएसटी, परिवहन शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क, वैट, सैट, चुंगी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी को छोड़कर साइट पर सामग्री की लागत को इंगित करती है।

### **नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री**

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के

लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

**अनुचित कार्य को हटाना:** नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और आरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएंगे।

**वास्तविक समापन के बाद दोष:** कोई भी दोष, मूल्यहास, समायोजन या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या यदि किसी ने इनका उल्लेख नहीं किया है तो कार्य के वास्तविक समापन के बारह महीने के भीतर, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली कारीगरी की सामग्री से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक की स्थिति में नियोक्ता ऐसे दोषों, मूल्यहास समायोजन या अन्य दोषों को ठीक करने और संशोधित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय जो इसके आनुषंगिक हैं, नियोक्ता द्वारा ठीक किए जाएंगे और वहन किए जाएंगे या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से काट लिया जाएगा या जो ठेकेदार को देय हो सकती है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और कमियों को पूरा करने के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जिसे नियोक्ता द्वारा समकक्ष निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत और इस धारा के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे इस धारा के तहत खंड 12 और 22 के तहत नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई या आपूर्ति की गई थी और इस धारा और इस धारा 2 के प्रावधान के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद ठेकेदार खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

**वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि:** जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

**नामित उप-ठेकेदार:** सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा

सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

**24. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति:** नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#### **25. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:**

क) ठेकेदार, किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति के सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के अंतर्गत देयता में अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वे निर्माण कार्य के ठीक बगल में हों या अन्यथा, सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला नुकसान भी शामिल होगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उपरोक्त किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हुई चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसान और खर्चों के संबंध में, और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या क्षति के संबंध में भी, बैंक को हानिरहित

रखेगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए **एक सर्व जोखिम पॉलिसी** लागू करेगा और बनाए रखेगा, ठेकेदारों के लिए मानक सर्व जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध और कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा ताकि संपूर्ण कार्य हर दृष्टि से पूर्ण और परिपूर्ण हो और संपत्ति या तृतीय पक्षों को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या अन्यथा उन्हें संतुष्ट किया जा सके। कुल 10.00 लाख रुपये की और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख रुपये की सीमा के साथ ठेकेदार द्वारा तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी प्रदान की जानी चाहिए।

ठेकेदार, कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति प्रदान करता रहेगा। वह अपने स्वयं के व्यय पर, बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बैंक और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार (पहले ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी लागू करेगा और अनुबंध के पूर्ण होने तक उसे बनाए रखेगा और कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करेगा।

पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2 लाख और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में ₹5 लाख होगी। ठेकेदार, बैंक पर किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत हों या किसी अन्य लागू क़ानून के अंतर्गत, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में सामान्य क़ानून के अंतर्गत हों और वह अपने स्वयं के व्यय पर, बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के वास्तविक समापन तक ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

ठेकेदार द्वारा ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा करने में चूक होने पर, बैंक ऐसा बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट सकता है।

ठेकेदार किसी भी देयता के लिए उत्तरदायी होगा जो उपर्युक्त बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति, पशु या इस अनुबंध के दोषपूर्ण निष्पादन को होने वाली अन्य सभी क्षतियों के लिए भी उत्तरदायी होगा, चाहे वे किसी भी कारण से हुई हों।

ठेकेदार, कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, प्रभारों या खर्चों के लिए और उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

ऐसी चूक के संबंध में ठेकेदारों के विरुद्ध बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति लागत, प्रभारों और अन्य खर्चों की राशि को काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।

इस खंड के अंतर्गत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे के निपटारे के बाद, ठेकेदार, नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित तत्परता से आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी क्षति के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धनराशि ठेकेदार को चुकाई जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत पर किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, कार्य पूरा करने के लिए बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले समय विस्तार का हकदार होगा, लेकिन, यहाँ निर्धारित किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी की बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से, कार्यों के अपने-अपने भागों के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार समान बीमा पॉलिसियाँ लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसियाँ प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत न कर दी जाएँ। कार्यस्थल पर कार्य शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसियाँ लेने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, अपने खर्च पर, उपकरण/सामग्री के निर्माता के कार्यस्थल से निकलने से लेकर उक्त प्रणाली को बैंक को सौंपे जाने तक, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से सभी बीमा करवाएगा और इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे।

ठेकेदार की सर्व-जोखिम पॉलिसी

कार्यस्थल पर कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी।

कुल ₹10.00 लाख की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसकी सीमा प्रति दुर्घटना ₹2.50 लाख है।

**कार्य प्रारंभ करने और पूरा करने की तिथि:** ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य प्रारंभ करने की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य पूरा करने की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

**कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति:** यदि ठेकेदार परिशिष्ट में उल्लिखित तिथि तक या यहां खंड 27 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि को "परिसमाप्त क्षति" के रूप में नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है, जो ठेकेदार को देय है। परिसमाप्त क्षति की वसूली प्रति सप्ताह

परिसमापन क्षति की मात्रा होगी जो अनुमानित लागत का 0.25 प्रतिशत होगी और स्वीकृत ई-निविदा राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगी।

**विलंब और समय का विस्तार:** यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिल्डिंग ट्रेड को प्रभावित करना या (छ) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से, जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य और कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार यथाशीघ्र बैंक को लिखित सूचना देकर किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

**ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता:** यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, ऐसे आगे के रेखाचित्रों और/या बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो भी उसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

**नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा या न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन होगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर वास्तुकार की उचित संतुष्टि को दर्शाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और इसके लिए, यदि वास्तुकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होगा।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, प्रथम या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति की कुर्की के निष्पादन या अन्य न्यायिक प्रक्रिया को सहन करता है।

या इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क होने देता है।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को उप-पट्टे पर सौंप देता है।

या इस अनुबंध या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारत या भारत नहीं करता है।

अनुबंध को त्याग दिया है,

या कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अधीन बैंक से कार्य आरंभ करने का नोटिस प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या

कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों तक साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अधीन बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट और अस्वीकार कर दिया गया था' या

ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के बाद भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले किसी भी कार्य, मामले या चीज़ का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या विफलता की है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी पूर्व अधित्याग के होते हुए भी, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के पश्चात, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो संपूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेगा मानो अनुबंध का निर्धारण न किया गया हो, और ऐसा तब भी होगा जब बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। और इसके अतिरिक्त, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों में प्रवेश कर सकता है और परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य विद्युत उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या उन्हें अपने सेवकों और कर्मचारियों के माध्यम से कार्य को चलाने और पूरा करने में नियोजित कर सकता है या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने और परिष्करण करने या सामग्रियों और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या बात नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सुविधानुसार बैंक ठेकेदार को उसकी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसे प्राप्त होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री में से कितनी सामग्री नियोक्ता के कब्जे में है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि हुई है और राशि कितनी है। यदि कोई हो, तो ठेकेदार को देय और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

**ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी

संयंत्र या सामग्री या उद्देश्य या अनुबंध के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 17 के अनुसार किया जाएगा।

**प्रमाणपत्र और भुगतान:** ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के अंतर्गत किस्तों में निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किए गए कार्यों के अनुमानित मूल्य के बराबर होगा, जैसा कि परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य" के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, इस मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण राशि" के रूप में दर्शाया गया है, जिसके बाद किस्तें बाद में निष्पादित और भवन में स्थापित किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य लगभग पूरा हो जाता है, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार, परिशिष्ट में "वास्तविक समापन के बाद किस्त" के रूप में दर्शाई गई राशि का भुगतान किया जाएगा, जो उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होगा। और ठेकेदार, वास्तविक समापन की तारीख से, या जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो जाएगा और सभी दोषों को इसके वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया जाएगा, परिशिष्ट में 'दोष दायित्व अवधि' के रूप में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जो भी अंतिम होगा बशर्ते कि हमेशा या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को खंड 2 और 19 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में अपनी असमर्थता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जाँच में प्रकट नहीं हुए होंगे।

यदि कार्य या उसका कोई भाग नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो नियोक्ता को किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने का अधिकार होगा।

कार्य के लिए केवल निम्नलिखित भुगतान शर्तें ही लागू होंगी।

पूर्ण एवं अंतिम बिल निम्नानुसार बनाए जाएँगे, विस्तृत मदवार माप लिया जाएगा और भुगतान कार्य के विशिष्ट मद के पूरा होने पर उद्धृत दर के आधार पर किया जाएगा। सभी भुगतान सुरक्षा जमा, आयकर और कार्य अनुबंध कर (व्यापार कर) की वसूली के अधीन होंगे। ठेकेदार ध्यान दें कि कोई अंतरिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

**विलंबित भुगतान:** नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में दिए गए 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर उस तारीख से, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, भुगतान होने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में उल्लिखित दर से ब्याज लगेगा।

इसके खंड 2(क), 2(ख), 4, 7, 12, 19 और 29 (जिन्हें इसमें अपवादित मामले कहा गया है) के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले से संबंधित निर्णय, राय, निर्देश प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक होगा तथा संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा

और अपील के अधीन नहीं होगा। कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) इसी प्रकार इसके खंड 35 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा।

**मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा:** अनुबंध या कार्यों के निष्पादन (कार्यों के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या भंग से पहले या बाद में) से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद बैंक को भेजे जाएंगे और बैंक द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसमें कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि नियोक्ता या ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट हैं, तो किसी भी तरह के विवाद का प्रश्न, अपवादित मामलों को छोड़कर, तब और ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें मांग की जाएगी कि विवादित मामलों पर ऐसे लिखित नोटिस पर मध्यस्थता की जाए, उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और इसके द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और मध्यस्थ का अंतिम निर्णय दोनों पक्षों द्वारा सहमत और नियुक्त किया जाना चाहिए या, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जो मध्यस्थ बोझ या संदर्भ को स्वयं लेने से पहले एक निर्णायक नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में छोड़कर, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, मामले को प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त विस्तारित समय के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार अपने विवाद या मतभेद को पारस्परिक रूप से सुलझा लेते हैं, सुलह कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी जिस तिथि को पक्षकार मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, के साथ समझौते का एक संयुक्त ज्ञापन दाखिल करते हैं।

ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत क्रमशः मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं के विवेक पर निर्भर होगी, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं, या वकील और मुवक्किल के बीच या पक्षकार और पक्षकार के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि वह राशि किसके द्वारा, किसे और किस मामले में वहन की जाएगी और भुगतान की जाएगी। यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (नवीनतम संशोधन) या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी। मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्य में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्य करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय का पालन करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के उसके दायित्वों

से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता, अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

### **अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**

नियोक्ता को कार्य और ठेकेदार के अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जाँच कराने का अधिकार होगा, जो अंतिम बिल के भुगतान के समय प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप, अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

### **नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का अधिकार**

यदि किसी भी कारण से नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, वह भी उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या उसके द्वारा देय किसी राशि से कटौती करके वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि हेतु पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

### **कार्यों का परित्याग**

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने की मांग नहीं करता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के लिए मुआवजे या अन्यथा किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

### **अधिशेष सामग्री की वापसी**

इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिटों या लाइसेंसों के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययतापूर्वक और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के प्रति सभी धनराशि, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुए या सामान्य क्रम में हुए होते।

### **ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार**

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

**ईपीएफ और ईएसआई:** ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है और ईपीएफओ और ईएसआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर

स्थान:

सील के साथ फर्म का नाम और पता

## खंड ई: विशेष शर्तें

कामगारों को परिसर में रहने की अनुमति नहीं होगी।

कार्य या कामगारों के लिए आवश्यक जल उपलब्ध स्रोत से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थान तक ले जाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति कार्यस्थल पर उपलब्ध आपूर्ति से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थान तक ले जाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर प्राप्त की जाएगी।

यद्यपि फिनिशिंग मदों में पेंट/पॉलिश के कोटों की संख्या का उल्लेख किया गया है, फिर भी ठेकेदार को ध्यान रखना होगा कि सौंपते समय पूरे क्षेत्र की फिनिशिंग उच्च गुणवत्ता की हो, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के पेंटिंग/पॉलिशिंग आदि का अतिरिक्त कोट भी शामिल हो।

इच्छुक निविदाकर्ता ई-निविदा आरेखों, विनिर्देशों आदि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग, कानपुर के कार्यालय से किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबा/धूल या किसी भी प्रकार के अपव्यय को आवश्यकतानुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार बार-बार साफ किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को साफ किया जाएगा।

जहाँ भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को भुगतान किए गए पूरे बिल के सत्यापन के लिए बैंक को प्रस्तुत करना होगा। क्रय से पहले क्रय दर बैंक से अनुमोदित करानी होगी। मूल्य में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर ही किया जाएगा। लागत अंतर पर 15% लाभ माना जाएगा। मूल मूल्य गोदाम से बाहर के हैं और इनमें जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण/सरकार द्वारा लगाए गए अन्य सभी शुल्क शामिल नहीं हैं। उद्धृत दर में साइट तक परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।

बैंक सामग्री, कारीगरी, विवरण और फिनिश के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वे उचित मानते हैं, और इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। ठेकेदार इस खाते पर अतिरिक्त दावा करने का पात्र नहीं है।

बैंक ठेकेदार से खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सहायक उपकरण/फिनिश के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। इन निर्देशों का पालन न करने पर कार्य को अस्वीकार किया जा सकता है।

कार्य के लिए सामग्री के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए।

निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि उसे भवन के किसी भी घटक को कोई नुकसान पहुँचाए बिना और मौजूदा निवासियों को परेशान किए बिना अपने हिस्से का काम पूरा करना चाहिए। इस प्रकार हुई किसी भी क्षति की भरपाई ई-निविदा की लागत और जोखिम पर की जाएगी।

निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची में प्रत्येक आइटम का वर्णन करने वाले ई-निविदा चित्र और अन्य दस्तावेज केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और उन्हें विवरण और फिनिश के मामले में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। चूँकि यह ई-निविदा आंतरिक कार्यों के लिए है, जिसमें उच्च मानक की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग सहित कारीगरी और फिनिश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अपेक्षित है कि निविदाकर्ता ई-निविदा के चित्रों और विशिष्टताओं का आशय समझे और सामग्री, कारीगरी, फिनिश और सहायक उपकरणों का उचित प्रावधान करे ताकि फर्नीचर जिस कार्य के लिए है, उसके अनुरूप उच्च मानकों का उत्पाद तैयार किया जा सके। इस शर्त को न समझ पाने के कारण ठेकेदार द्वारा बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, फिनिश आदि के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। ठेकेदार द्वारा ई-निविदा में ऐसी सामग्री, कारीगरी और फिनिश उपलब्ध न कराने के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता।

सफल ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपनी सामग्री की सुरक्षा करे और उसे बैंक को संतोषजनक ढंग से अच्छी स्थिति में सौंपे। सौंपते समय, किसी भी क्षति, खरोंच, डेंट या ऐसे दोषों को ठेकेदार द्वारा बैंक की संतुष्टि के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्देशानुसार ठीक करवाया जाएगा।

सफल निविदाकर्ता, उद्धृत मूल्य में सभी संबद्ध सिविल कार्य जैसे दीवार में छेद करना, ड्रिलिंग छेद आदि शामिल करेंगे, ग्राउटिंग के बाद सतह को ठीक करेंगे आदि।

हर समय साफ-सफाई सफल निविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी है, और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि साइट से मलबा, अपशिष्ट पदार्थ आदि को अपने खर्च पर हटाया जाए और यह नियमित रूप से आयोजित किया जाए।

**सफल ठेकेदार अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा और अपने कार्य के हिस्से सहित आवासीय परिसर में हर समय अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा।**

ठेकेदारों को प्रतिबंध द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

**अनुलग्नक- I: संदर्भित पूर्व में परिशिष्ट**

a	काम की अनुमानित लागत	₹9,86,700/- रुपये (नौ लाख छियासी हजार सात सौ रुपये मात्र)
b	एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी (एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें)। लेन-देन के विवरण (यूटीआर नंबर) को <a href="mailto:avikghosh@rbi.org.in">avikghosh@rbi.org.in</a> और/या <a href="mailto:estatekanpur@rbi.org.in">estatekanpur@rbi.org.in</a> को सूचित करें/अप्रेषित करें	₹19,734/- रुपये (उन्नीस हजार सात सौ चौतीस रुपये) का भुगतान एनईएफटी/नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 186003001, आईएफएससी RBIS0KNPA01 को किया गया (अनुलग्नक- V देखें)
c	प्रदर्शन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (प्रतिधारण के अलावा धन) अनुबंध की मुद्रा की पूरी अवधि के लिए मान्य।
d	ई-निविदा दस्तावेज यहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं	<a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">www.mstcecommerce.com/eprocn</a>
e	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)	स्थान: संपदा विभाग, 2 मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
F	पूर्ण बोलों जमा करने की अंतिम तिथि	27 जनवरी, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक
g	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां) खोलने की तिथि और समय	27 जनवरी, 2026, दोपहर 3:30 बजे से
h	भाग- II (वित्तीय बोलियां) खोलने की तिथि और समय	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की जांच के बाद सभी निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।
I	प्रारंभ तिथि	जैसा कि कार्य आदेश में निर्दिष्ट है।
J	भुगतान की शर्त	अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य- रु. 15,00,000/- (रु. पंद्रह लाख मात्र)
K	ई-निविदा की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
L	उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	कानपुर
M	दोष देयता अवधि	आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष।
N	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 3 महीने।
O	प्रारंभ होने की तिथि	काम शुरू होने के दिन से 10 वां दिन या काम के स्थल को सौंपने के दिन से जो भी बाद में हो।
P	पूरा होने की तिथि	कार्य आदेश की तारीख से 10 वें दिन से [Comments]

q	इस ई-निविदा के संबंध में संचार के लिए व्यक्ति से संपर्क करें।	श्री भानु प्रताप सिंह (आगम) फोन नंबर- 0512- 2304119 ईमेल- <a href="mailto:bhanupratapsingh@rbi.org.in">bhanupratapsingh@rbi.org.in</a> श्री सुनील चौधरी (सहायक प्रबंधक) (टेक-सिविल) फोन नंबर- 0512-2331213 ईमेल- <a href="mailto:sunilchoudhary@rbi.org.in">sunilchoudhary@rbi.org.in</a>
r	परिसमापन क्षति	परिसमापन क्षति की वसूली प्रति सप्ताह अनुमानित लागत के 0.25% की दर से की जाएगी और स्वीकृत ई-निविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगी।
s	प्रतिधारण प्रतिशत (आर.एम.)	<b>प्रत्येक बिल से 5%</b>
t	प्रतिभूति जमा की किस्त वापस की जाएगी	क) सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी करने के बाद असफल बोलीदाताओं को 100% ईएमडी वापस कर दी जाएगी; ख) कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने और कार्य प्रारंभ करने के बाद सफल बोलीदाता को 100% ईएमडी वापस कर दी जाएगी; ग) अनुबंध की संपूर्ण अवधि समाप्त होने के बाद 100% कार्य निष्पादन बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी। घ) दोष दायित्व अवधि की सफल समाप्ति के बाद 100% प्रतिधारण राशि जारी कर दी जाएगी।
U	अंतरिम प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि	1 महीना
V	अंतिम प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि	3 महीने
w	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष।

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_ संपर्क/मोबाइल नं.-

## अनुलग्नक- II: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आप से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस ई-निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

### ई-निविदा प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास तृतीय श्रेणी हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

### विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली

[www.mstcecommerce.com/eprocn](http://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी हैं।

1) विक्रेताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा → ई-प्रोक्योरमेंट -> विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें -- विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएँ → जमा करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।

विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **RBI/MSTC** से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

### संपर्क व्यक्ति (आरबीआई कानपुर):

श्री भानु प्रताप सिंह (आगम)

फोन नंबर- 0512- 2304119 ईमेल- [bhanupratapsingh@rbi.org.in](mailto:bhanupratapsingh@rbi.org.in)

श्री सुनील चौधरी (सहायक प्रबंधक) (टेक-सिविल)

फोन नंबर- 0512-2331213 ईमेल- [sunilchoudhary@rbi.org.in](mailto:sunilchoudhary@rbi.org.in)

### संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फोन नंबर :07969066600

[helpdeskho@mstcindia.in](mailto:helpdeskho@mstcindia.in) (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

प्राप्यता

सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।


संपर्क व्यक्ति (MSTC)

कृपया [www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx](http://www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx) पर जाएँ और तदनुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालय को अपडेट करें।

### **ख) सिस्टम आवश्यकताएँ:**

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/>



### **लेन-देन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:**

विक्रेताओं को वेंडर लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट ई-निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास **NEFT** या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। **NEFT** का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान पर छपे विवरण के अनुसार, उसमें कोई बदलाव किए बिना लेन-देन शुल्क की राशि जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकेगा। **MSTC** के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा हो जाने पर, लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम द्वारा एक मेल प्राप्त होगा।

### **लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-निविदा तक नहीं पहुँच पाएगा।

### **नोट:**

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

अपलोड की गई ई-निविदाओं/शुद्धिपत्रों की जानकारी ई-निविदा के अंतिम रूप देने तक, प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा ही भेजी जाएगी। इसलिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि

	<p>एमएसटीसी में पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
4	<p>एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।</p>
5	<p><b>ई-निविदा में बोली लगाना:</b></p> <p>नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड <b>करने के लिए My Menu में Upload Documents</b> लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।</p> <p>एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा के लिए <b>Attach Document</b> लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।</p> <p>ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र होने के लिए विक्रेता(ओं) को आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p> <p>इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> → ई-प्रोक्योरमेंट → माई मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज़ और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करें और/या सामान्य शर्तों को सहेजें, चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिए जाएंगे। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।</p> <p>सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है</p>

**नोट:** - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार बुलाया जाएगा।**

यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। **किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।**

माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

## अनुलग्नक- III प्रदर्शन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग,  
कानपुर

प्रिय महोदय,

[Abstract]

### **प्रदर्शन सुरक्षा जमा / प्रतिधारण धन के लिए बैंक गारंटी**

चूँकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने उक्त परियोजना (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) के लिए मेसर्स ----- (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी शामिल होंगे) को अनुबंध प्रदान किया है।

और चूँकि ठेकेदार उक्त अनुबंध द्वारा आरबीआई को कुल -----राशि (-----केवल) (राशि अंकों और शब्दों में) के लिए एक निष्पादन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों को पूरा किया जा सके। हम,

----- (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स, ----- ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए आरबीआई को निष्पादन गारंटी के रूप में ----- (केवल-----) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम, ----- (बैंक का नाम), एतद्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; आरबीआई द्वारा माँगे जाने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के ₹ ----- (केवल-----) की राशि या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के विरुद्ध हमारी देयता ₹ (केवल) की राशि से अधिक न हो।

2. हम यह भी वचनबद्धता और पुष्टि करते हैं कि पूर्वोक्त ----- (केवल-----) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान हम

बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से लिखित सूचना प्राप्त होने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि राशि उन्हें देय है, किया जाएगा। हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे। आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हम किसी भी तरह से उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। बैंक, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम पूर्वोक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क) उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन, या उक्त अनुबंध और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम व शर्त का अनुपालन, या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना, या उससे संबंधित कोई अन्य मामला, किसी भी तरह से हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को पूरा नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ ----- (केवल-----) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान द्वारा पूरी की जाएगी।

ख) इन प्रस्तुतियों के तहत हमारी देयता ₹----- (केवल-----) से अधिक नहीं होगी।

ग) इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

द) यह गारंटी ----- (दोष दायित्व अवधि के 60 दिन बाद तक) प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर, जो इसमें निहित हैं, नवीनीकृत किया जा सकेगा।

e) इन दायित्वों के अंतर्गत हमारा दायित्व तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि इन दायित्वों का नवीनीकरण ऊपर दिए गए अनुसार, -----दिन या उस दिन नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही एकमात्र निर्णायक प्रमाण है, चाहे जो भी तारीख बाद में हो। जब तक कि हमारे विरुद्ध कोई दावा, वाद या कार्रवाई, या किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती, इस गारंटी के अंतर्गत हमारे विरुद्ध आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैं/हम बैंक द्वारा विधिवत अधिकृत होने के कारण, ----- (माह)----- (वर्ष) की तारीख को इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुके हैं।

----- (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

गवाह 1

हस्ताक्षर..... नाम

..... पता

.....

.....

.....

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार को सत्यापित किया जाएगा)।

### अनुलग्नक- IV निविदाकर्ता के बैंकों का विवरण

हमारे बैंकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

कृपया रद्द किए गए चेक की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें।

**अनुलग्नक- V ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण**

ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण (यदि ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से जमा किया गया है):

क्रमांक	आवश्यकता	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर नंबर (16 अंकों की संख्या)	
6	भुगतान की तिथि	

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

संपर्क नंबर: \_\_\_\_\_

परिशिष्ट- VI

सड़क मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत सामग्रियों की सूची

सीमेंट	लाफार्ज, एसीसी, अल्ट्राटेक या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष मेक
इस्पात	टाटा, जिंदल, सेल या समकक्ष स्वीकृत
बॉन्डिंग एजेंट	SIKA, FOSROC, BASF या अनुमोदित समकक्ष

## माप के विनिर्देश और मोड

### सामग्री

#### गुणवत्ता

कार्यों में सम्मिलित की जाने वाली सभी सामग्रियाँ, यहाँ उल्लिखित कार्यों की प्रासंगिक मदों में निर्दिष्ट अपनी-अपनी किस्मों की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होंगी और नियोक्ता/इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जाएँगी और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का कड़ाई से पालन करेंगी, या जहाँ परीक्षण सूची विनिर्देश में निर्धारित नहीं है, वहाँ बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं का पालन करेंगी।

#### निरीक्षण

कार्यों में सम्मिलित किए जाने से पहले सभी सामग्रियों का निरीक्षण अनुबंध की शर्तों और विनिर्देशों में अन्यत्र दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। कार्यों में किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

#### नमूने

कार्यों में प्रयुक्त या सम्मिलित की जाने वाली और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी समय मँगवाए जा सकते हैं।

#### स्वतंत्र परीक्षण

ठेकेदार को निर्माता से सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

कार्य का दायरा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तैयार किए गए विनिर्देशों (मात्रा अनुसूची में विस्तृत) के अनुसार [Abstract] को कवर करता है। ये विनिर्देश अनुबंध का हिस्सा होंगे और इन्हें विनिर्देशों के पूरक माना जाएगा, न कि यहाँ विशेष रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर।

सामग्री सर्वोत्तम स्वीकृत गुणवत्ता की होनी चाहिए और संबंधित आईएस विनिर्देशों (बीआईएस द्वारा कवर की गई सामग्रियों के लिए) का अनुपालन करना चाहिए। ऑर्डर देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूनों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए और अनुमोदित नमूने बैंक में जमा किए जाने चाहिए।

#### सामग्री

मीट्रिक आकारों में सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में, इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से एफपीएस इकाइयों में निकटतम आकार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही कोई छूट ली जाएगी।

यदि नियोक्ता द्वारा मांग की जाती है, तो ठेकेदार के लिए निर्माता या सामग्री आपूर्तिकर्ता से परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि कार्य उनकी सामग्रियों का उपयोग करके और उनकी सिफारिशों के अनुसार किया गया है।

ठेकेदार द्वारा किसी भी सामग्री का परीक्षण बैंक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में कराया जाएगा और परीक्षण के परिणाम मूल रूप में बैंक को प्रस्तुत किए जाएँगे। इन परीक्षणों की रसीदें/चालान प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नियोक्ता/किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का उचित भंडारण किया जाएगा और ठेकेदार कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने और कार्य पूरा होने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

जब तक चित्रों में अन्यथा न दर्शाया गया हो या मात्राओं या विशेष शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित न हो, सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कारीगरी के आयाम आदि नीचे निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

सामग्री पर क्षेत्र परीक्षण करने के लिए सभी उपकरण और सुविधाएं ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान की जाएँगी।

**भाग II**

**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग  
कानपुर**

(मात्रा का अमूल्य बिल)

**के लिए**

**ई-निविदा**

**RBI/Kanpur Regional Office/Estate/13/25-26/ET/726**

जमा करने की अंतिम तिथि: 27 जनवरी, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक।

**भारतीय रिज़र्व बैंक  
संपदा विभाग  
कानपुर**

**मात्राओं की अनुसूची**

**उद्देशिका:**

यह कार्य आरबीआई कार्यालय परिसर, कानपुर में किया जाएगा। ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले कार्य के दायरे, कार्य स्थितियों और कार्य के बारे में सभी आवश्यक जानकारी से परिचित होने के लिए स्थल का निरीक्षण करें।

तीन मंजिला इमारतों की किसी भी या सभी मंजिलों पर काम किया जा सकता है। उद्धृत दरें इस खाते पर बिना किसी अतिरिक्त के सभी लीड और लिफ्टों पर लागू होनी चाहिए।

कार्य प्रभारी इंजीनियर के परामर्श से और अन्य एजेंसी, यदि कोई हो, के साथ निकट समन्वय में किया जाएगा।

ठेकेदार कार्य की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा, जो बैंक के इंजीनियर से कार्य के बारे में निर्देश लेगा।

**मूल दर मदों के लिए मूल्य समायोजन:** मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा के लिए किया जाएगा, किसी भी अपव्यय पर विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य शर्तों और विशेष निर्देशों में मूल्य समायोजन के लिए धारा 'डी' के खंड संख्या 18 के अनुसार मूल्य समायोजन किया जाएगा।

जहाँ कहीं भी निविदा में कुछ मदों के अंतर्गत मूल दर का उल्लेख किए बिना अनुमोदित **मेक और उत्पाद कोड** का उल्लेख किया गया है। ठेकेदारों को केवल उन्हीं निर्माताओं और कोडों के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी। यदि कार्य के दौरान बैंक द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इन सामग्रियों के लिए मूल्य समायोजन, निर्धारित उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य और प्रयुक्त उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार के लाभ और उपरिव्यय (सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) जोड़ा जाएगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक माल ढुलाई, लदान, उतराई, अपव्यय, कर, शुल्क आदि को मूल्य समायोजन के लिए **नहीं** माना जाएगा।

जहाँ भी निविदा मदों में सामग्री की मूल दर का उल्लेख किया गया है, उसमें जीएसटी और मूल दर तथा वास्तविक स्वीकृत क्रय मूल्य (जीएसटी और केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए और ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य करों व शुल्कों को छोड़कर) शामिल नहीं है, साथ ही इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) ठेकेदारों के लाभ और उपरिव्यय के रूप में, मूल्य समायोजन (सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए विचार किया जाएगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

मूल्य समायोजन के लिए माल ढुलाई, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय आदि पर विचार **नहीं** किया जाएगा।

उद्धृत दरों में कार्य करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम, अपव्यय, परिवहन, मचान, उपकरण और संयंत्रों की लागत शामिल होनी चाहिए।

कार्य सामान्यतः सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच किया जाएगा। हालाँकि, आपसी सहमति से सामान्य कार्य घंटों से अधिक कार्य घंटों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। **ठेकेदार को श्रम कानूनों के अनुसार अधिकतम घंटों से अधिक कार्य के लिए उचित मुआवजा देना होगा।**

सफल निविदाकर्ता को बड़े पैमाने पर कार्य शुरू करने से पहले बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्य की प्रत्येक मद के लिए सामग्री के नमूनों की व्यवस्था करनी होगी। नमूनों की व्यवस्था के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसे बैंक की सलाह के अनुसार, बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नमूने में परिवर्तन भी करने होंगे। नमूनों की स्वीकृति के बाद ही बड़े पैमाने पर कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ठेकेदार को कार्य के दौरान उत्पन्न मलबे को नियमित अंतराल पर या निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर बैंक परिसर से उठाने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा 1000/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर**

**संपदा विभाग**

**मात्रा की अनुसूची**

**कार्य का नाम - एसी प्लांट क्षेत्र, कार्यालय परिसर, आरबीआई कानपुर के पास सड़क मरम्मत कार्य**

म द सं ख्य ।	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
1	<p>मौजूदा क्षतिग्रस्त आरसीसी / सीमेंट कंक्रीट (कास्ट इन-सीटू / प्री-कास्ट), फ़र्श और आंतरिक ड्राइववे को यांत्रिक साधनों (हाइड्रोलिक खुदाई, कटर मशीन, आदि) / मैनुअल साधनों द्वारा सावधानीपूर्वक नष्ट करना और 8 से 10 टन क्षमता के पावर रोड रोलेर / स्मूथ व्हील रोलेर के साथ सबग्रेड सतहों की तैयारी, पानी देना, कॉम्पैक्टिंग और तैयारी इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा निर्देशित खुदाई कार्य पूरा करने के बाद। नोट: उप-परतों सहित निराकरण की गहराई, यदि कोई हो, जैसा कि नीचे दिए गए उप-पैरा में उल्लेख किया गया है, सड़कों के लिए 165 मिमी (न्यूनतम) होगी।</p>	10	Cum		
	<p>कार्य के दायरे में निम्नलिखित भी शामिल होंगे (i) सतहों को नष्ट करना, यदि कोई हो, किसी भी प्रकार के मौजूदा कंक्रीट के नीचे, पिचिंग, सोलिंग, बेर कंक्रीट, सादे सीमेंट कंक्रीट (किसी भी ग्रेड), प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (किसी भी ग्रेड) पत्थर की चिनाई और जमीनी स्तर से नीचे सभी प्रकार की ईंट/ब्लॉक चिनाई, रॉक बोल्टर, प्रस्तावित सड़क मार्ग के फुटपाथ/केंद्रीय कगार से सभी प्रकार के मौजूदा कर्ब स्टोन, जिसमें किसी भी आकार के मोर्टार को हटाना आदि शामिल हैं। किनारों को ड्रेसिंग/ट्रिमिंग, बॉटम्स को समतल करना, जब भी आवश्यक हो, मैनुअल डीवाटरिंग सहित, वनस्पति को हटाने पर ऊपर उद्धृत दरों में विचार किया जाएगा।</p>				

	<p>(ii) मौजूदा उपयोगिताओं जैसे विद्युत केबल, पाइप, पानी के मुख्य (यदि कोई हो) आदि को संभालना/समर्थन करना।</p> <p>(iii) हटाए गए कचरे, कचरे को परिसर के भीतर निर्देशित स्थान पर उचित रूप से रखा जाएगा और प्रभारी अभियंता के निर्देश के अनुसार और प्रचलित स्थानीय नगरपालिका नियमों के अनुसार लोडिंग, परिवहन सहित बैंक के परिसर से बाहर उचित तरीके से निपटाया जाएगा।</p>			
2	<p>उचित आकार और अनुपात के सीमेंट, महीन और मोटे समुच्चय का उपयोग करके एम -15 ग्रेड (1: 2: 4) के सीमेंट कंक्रीट को स्थिति में प्रदान करना और बिछाना। इस कार्य में परिवहन, पंपिंग, बिछाने और साइट पर फैलाने और सुई और सतह वाइब्रेटर का उपयोग करके यांत्रिक रूप से कॉम्पैक्ट करना, आवश्यक ढलान/कैम्बर को समतल करना, फॉर्म वर्क (यदि कोई हो), पानी को तालाब करके क्यूरिंग करना / गीले बोरे के साथ कवर करना शामिल होगा, जिसमें आइटम नंबर 6 के अनुसार रखी जाने वाली आरसीसी परत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सतह तैयार करना शामिल है</p>	4	cum	
3	<p>सुदृढीकरण- एफई 500डी ग्रेड के थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार की स्थिति में प्रदान करना, काटना, बिछाना और फिक्सिंग करना, सुदृढीकरण 8 मिमी व्यास @ 300 मिमी सी/सी आईएस 1786 के लिए अनुमोदित मेक या समकक्ष की पुष्टि करने के दोनों तरीके जिसमें डिकॉइलिंग, कटिंग, हुकिंग, बेंडिंग, क्रैकिंग, आवश्यक आकार के लिए फैब्रिकेटिंग, स्थिति में रखना और प्रत्येक जंक्शन पर सिस्टम को नरम खींचे गए एनील्ड जीआई बाइंडिंग तार के साथ बांधना शामिल है। व्यास के 1 मिमी से कम नहीं वाले व्यास के बाइंडिंग तार विनिर्देशों के अनुसार बिल्कुल भी पूरा नहीं ऊंचाई और स्थान और बैंक के इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करना। नोट: दर में बाइंडिंग तारों, कंक्रीट कवर ब्लॉक आदि की आपूर्ति की लागत शामिल होगी। सुदृढीकरण कुर्सियों, मानक मानदंडों के अनुसार या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित सुदृढीकरण माप में विचार किया जाएगा।</p>	1780	Kg	

4	कतरनी कनेक्टर-स्थिति में प्रदान करना और ठीक करना विकृत रीबार (एफई 415), कतरनी कनेक्टर 8 मिमी व्यास और 1000 मिमी सी/सी दोनों तरफ 150 मिमी लंबा, 12 मिमी व्यास और 75 मिमी गहरे छेद ड्रिलिंग द्वारा मौजूदा कंक्रीट में डाला गया, और निर्माता विनिर्देश के अनुसार अनुमोदित मेक के पॉलिएस्टर रेज़िन एंकर ग्राउट से भरा हुआ। इस दर में प्रत्येक जंक्शन पर सिस्टम को सॉफ्ट ड्रॉ किए गए एनील्ड जीआई बाइंडिंग वायर के साथ बांधना शामिल होगा, जो सभी ऊंचाइयों और स्थान पर विनिर्देशों के अनुसार कम से कम 1 मिमी से पूरा नहीं होगा और बैंक के इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त करेगा।	670	sqm		
5	बॉन्ड कोट- बैंक के इंजीनियर आदि के विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार मौजूदा कंक्रीट सतह पर निर्माता के विनिर्देश के अनुसार बॉन्डिंग कोट (अनुमोदित मेक का एसबीआर पॉलिमर आधारित बॉन्ड कोट) प्रदान करना, मिश्रण करना और लागू करना आदि सभी पूर्ण हैं।	670	sqm		
6	डिजाइन मिश्रण के अनुसार सीमेंट सामग्री का उपयोग करके सड़कों में एम-30 ग्रेड का डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट प्रदान करना और बिछाना, अनुमोदित और निर्दिष्ट डिजाइन मानदंडों के अनुसार उचित अनुपात में मोटे रेत और 40 मिमी नाममात्र आकार के ग्रेडेड पत्थर के समुच्चय का उपयोग करना, जहां भी आवश्यक हो, आस्तीन/टाई बार के साथ डॉवेल बार प्रदान करना, साइट पर बिछाना, सुई और सतह वाइब्रेटर का उपयोग करके यांत्रिक रूप से फैलाना और कॉम्पैक्ट करना, आवश्यक ढलान / कैम्बर के लिए समतलीकरण, आवश्यक बनावट के साथ परिष्करण, मजबूत एमएस चैनल वर्गों के साथ स्टील फॉर्म के काम सहित, क्यूरिंग, संकुचन / विस्तार के लिए प्रावधान करना, निर्माण और अनुदैर्घ्य जोड़ों (10 मिमी चौड़ा x 50 मिमी गहरा) नाली काटने की मशीन द्वारा, अनुमोदित संयुक्त भराव और सीलेंट के साथ जोड़ों को प्रदान करना और भरना, सभी इंजीनियर-प्रभारी के निर्देश के अनुसार पूरा करें। (संयुक्त भराव की वस्तु सीलेंट, आस्तीन/टाई बार के साथ डॉवेल बार का भुगतान अलग से किया जाना चाहिए)।	67	cum		

	<p>नोट: उद्धृत दर के लिए समावेशी होगा -  i) कॉन्ट्रैक्टर को RMC सप्लायर की डिज़ाइन मिक्स रिपोर्ट को IIT/ NIT/ IISc या किसी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान से प्रूफ चेक करवाना होगा और अनुमोदन के लिए रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, यदि सामग्री का स्रोत अनुमोदित डिजाइन-मिश्रण से भिन्न है, तो उपरोक्त संस्थानों द्वारा जांचे गए संशोधित डिजाइन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सकता है। ii) आईएस 456:2000 के अनुसार क्यूब कास्टिंग और सैंपलिंग और किसी भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में क्यूब्स का परीक्षण करवाना और अनुमोदन के लिए बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। iii) साइट पर बचे हुए किसी भी अतिरिक्त कंक्रीट को हटाना होगा।</p>				
7	<p>बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, नए फिनिशड कंक्रीट लेवल तक उठाए गए नए एमएस मैनहोल को कवर और फ्रेम लगाना। विभिन्न आकारों के लगभग 15 मैनहोल की अस्थायी संख्या, ठेकेदार कक्षों की जांच करने के लिए साइट पर जा सकता है।</p> <p>उद्धृत दर में 500 मिमी (एल) x 425 मिमी (डब्ल्यू) x 100 मिमी मोटे गटर टॉप कवर के प्रीकास्ट आरसीसी एम 30 ग्रेड को प्रदान करना और ठीक करना शामिल होगा, जिसमें नाली को ठीक करने के बाद अनुमोदित मेक के स्लॉट होंगे, जिससे आवश्यक ढाल/ढलान बन जाएगा। शीर्ष कवर में वर्षा जल प्रवेश के लिए पूरे नाले में स्लॉट होंगे, आवश्यक ढाल रेखा और स्तर पर बिछाए जाएंगे और सीमेंट कंक्रीट (1:2:4) प्रदान करके वक्रता होगी, सभी जोड़ों को सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटे रेत) के साथ खत्म किया जाएगा, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार वर्षा जल प्रवेश क्षेत्र में कंक्रीट के साथ किनारों को पूरा करना आदि होगा। यू-आकार के नाले की मूल दर और जीएसटी को छोड़कर 3900 रुपये प्रति मीटर कवर करें। नोट: भुगतान के लिए तैयार नाली की लंबाई मापी जाएगी।</p>	1	LS		

मद संख्या 1 से 7 के लिए महत्वपूर्ण नोट: ठेकेदार स्तरों की जांच करने, खुदाई/सड़क आदि के स्तरों को सटीक रूप से लेने के लिए कार्य की पूरी अवधि के लिए अपनी लागत पर कुल स्टेशन और सर्वेक्षक बनाए रखेगा। ठेकेदार साइट सर्वेक्षण रिपोर्ट और सर्वेक्षक से सभी आवश्यक दस्तावेज (साइट योजना, आदि) प्रस्तुत करेगा, जिसमें मौजूदा ढाल/ढलान और कुल स्टेशन उपकरण के साथ बुल मार्किंग का उपयोग करके प्रस्तावित ढाल/ढलान शामिल हैं। साइट सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के लिए बैंक को प्रस्तुत की जा सकती है। कंक्रिटिंग शुरू होने से पहले माप पर ठेकेदार और प्रभारी इंजीनियर या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

i) उपरोक्त प्रदान करने में विफलता पर 1000 रुपये प्रति दिन का दंड शुल्क लगाया जाएगा

कुल राशि:

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख: